

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 138/2018

दायर दिनांक 28.08.2018

1. प्रदीप कुमार पुत्र री गणपतराम जाति रैगर निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।

-वादी

बनाम

1. करणीराम पुत्र राजेन्द्र प्रसाद मेघवाल निवासी चारा का बास तन परसरामपुरा।
2. हजारी पुत्र छाजूराम जाति जोगी निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।
3. हेमराज
4. मुकेश पुत्रान् मदनलाल
5. गीता देवी पत्नी मदनलाल
6. द्वारका प्रसाद पुत्र किशनलाल
7. भागीरथमल
8. छाजूराम
9. ओमप्रकाश पुत्रान् गौरीशंकर
10. मणी देवी पत्नी गौरीशंकर
11. महावीर
12. रामचन्द्र पुत्रान् रामेश्वर
13. रुकमणी देवी पत्नी जगदीश
14. गुडिया
15. अनिता
16. अणची
17. सरोज
18. बिमला
19. राजबाला पुत्रियां जगदीश
20. बिरजू
21. मक्खन
22. उमराव पुत्रान् रामेश्वर
23. पतासी पत्नी रामेश्वर
24. महेन्द्र कुमार
25. मुकेश कुमार पुत्रान् बनवारी
26. संतोष देवी पत्नी बनवारी
27. पूर्ण पुत्र भागीरथ
28. श्योप्रसाद पुत्र तारु
29. किशोर पुत्र तारु
30. कन्हैयालाल पुत्र तारु
31. गीता देवी पत्नी तारु
32. सरला
33. कौशल्य
34. राधा पुत्रियां तारु जाति जोगी निवासीगण परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।
35. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुंझुनू।

-प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी :- श्री विप्लव पंडित

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

दावा- बाबत घोषणार्थ व विधिवत विभाजन

निर्णय

निर्णय दिनांक 06.02.2020

वाद वादी दिनांक 29.08.2019 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2019/09 दिनांक 06.01.2020 प्रस्तुत करने पर बहस वकील वादी सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने में सहमति जाहिर करने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

उक्त वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम परसरामपुरा की भूमि ख.नं. 2628/0.17, 2629/0.04, 2630/0.16 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.37 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. ग्राम परसरामपुरा की भूमि ख.नं. 2629मी./0.0234, 2628मी./0.0516 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0750 हैक्टर का प्रदीप कुमार पुत्र गणपतराम जाति रैगर सा0देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम परसरामपुरा की भूमि खसरा नम्बर 2629/1 रकबा 0.0166 हैक्टर का करणीराम पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति मेघवाल निवासी चारा का बास खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. ग्राम परसरामपुरा की भूमि ख.नं. 2628/1 रकबा 0.1184 है0 तथा खसरा नम्बर 2630 रकबा 0.1600 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.2784 का उमराव पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/84 जाति जोगी, गीता देवी पत्नी मदनलाल हिस्सा 1/36 जाति दर्जी, भागीरथ, छाजूराम, ओमप्रकाश पुत्र गौरीशंकर, मणी देवी पत्नी गौरीशंकर हिस्सा 1/3 जाति जोगी, गुड़िया, अनिता, अणची, सरोज, बिमला, राजबाला पुत्री जगदीश, रूकमणी देवी पत्नी जगदीश हिस्सा 1/84 जाति जोगी, श्योप्रसाद, किशोर, कन्हैयालाल पुत्र तारू, गीता देवी पत्नी तारू, सरला, कौशल्य, राधा पुत्री तारू जाति जोगी हिस्सा 1/9, द्वारका प्रसाद पिता किशनलाल जाति दर्जी हिस्सा 1/12, पतासी पत्नी रामेश्वर हिस्सा 1/84, बिरजू पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/84, मक्खन पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/84, महाबीर पुत्र रामेश्वर हिस्सा 3/56, रामचन्द्र पुत्र रामेश्वर हिस्सा 3/56, पूर्ण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/9 जाति जोगी, मुकेश पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/36, हेमराज पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/36 जाति दर्जी, मुकेश कुमार पुत्र बनवारी हिस्सा 1/27, महेन्द्र कुमार पिता बनवारी हिस्सा 1/27, सन्तोष देवी पत्नी बनवारी हिस्सा 1/27 जाति जोगी सा. देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ़्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारीलाल शर्मा) कारी
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्री मुरारीलाल शर्मा (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

मुकदमा सं0:- 138/2018

दावा- विभाजन
(प्रदीप कुमार बनाम करणीराम आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री मुरारीलाल शर्मा (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी, वकील वादीगण मनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 06.02.2020 निर्णय वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम परसरामपुरा की भूमि ख.नं. 2628/0.17, 2629/0.04, 2630/0.16 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.37 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है:-

1. ग्राम परसरामपुरा की भूमि ख.नं. 2629मी./0.0234, 2628मी./0.0516 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0750 हैक्टर का प्रदीप कुमार पुत्र गणपतराम जाति रैगर सा0देह खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम परसरामपुरा की भूमि खसरा नम्बर 2629/1 रकबा 0.0166 हैक्टर का करणीराम पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति मेघवाल निवासी चारा का बास खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।
3. ग्राम परसरामपुरा की भूमि ख.नं. 2628/1 रकबा 0.1184 है0 तथा खसरा नम्बर 2630 रकबा 0.1600 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.2784 का उमराव पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/84 जाति जोगी, गीता देवी पत्नी मदनलाल हिस्सा 1/36 जाति दर्जी, भागीरथ, छाजूराम, ओमप्रकाश पुत्र गौरीशंकर, मणी देवी पत्नी गौरीशंकर हिस्सा 1/3 जाति जोगी, गुडिया, अनिता, अणवी, सरोज, बिमला, राजबाला पुत्री जगदीश, रूकमणी देवी पत्नी जगदीश हिस्सा 1/84 जाति जोगी, श्योप्रसाद, किशोर, कन्हैयालाल पुत्र तारू, गीता देवी पत्नी तारू, सरला, कौशल्या, राधा पुत्री तारू जाति जोगी हिस्सा 1/9, द्वारका प्रसाद पिता किशनलाल जाति दर्जी हिस्सा 1/12, पतासी पत्नी रामेश्वर हिस्सा 1/84, बिरजू पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/84, मक्खन पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/84, महाबीर पुत्र रामेश्वर हिस्सा 3/56, रामचन्द्र पुत्र रामेश्वर हिस्सा 3/56, पूर्ण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/9 जाति जोगी, मुकेश पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/36, हेमराज पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/36 जाति दर्जी, मुकेश कुमार पुत्र बनवारी हिस्सा 1/27, महेन्द्र कुमार पिता बनवारी हिस्सा 1/27, सन्तोष देवी पत्नी बनवारी हिस्सा 1/27 जाति जोगी सा. देह खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

जन.....-..... मुबलिंग.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....-.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक-.....का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 06 माह 02 सन.2020 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
मुकदमा सं0:- 138/2018

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	5.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-
मुतफरिक मिजान	6.00	मुतफरिक मिजान	0.00

